राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 290/2018

गोपाल दत्त शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.03.2018
आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 27.08.2007, 27.08.2007 व 13.12.2017 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.08.2007 द्वारा जो अवकाश स्वीकृत किया गया है, उन्हें निरस्त करते हुए नियम 110 के अनुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1993 में अध्यापक के पद पर हुई थी, परंतु नियुक्ति समय अपीलार्थी बी.एड. योग्यताधारी नहीं था और विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2006 के द्वारा बी.एड. परीक्षा वर्ष 2006 में शामिल होने के लिए अपीलार्थी को स्वीकृति प्रदान की गई, परंतु आदेश में यह अंकित किया गया कि प्रशिक्षण स्वयं के खर्चे पर और प्रशिक्षण अवधि एवं परीक्षा अवधि में स्वयं के संचयी अवकाश स्वीकृत कराने होंगे। संचयी अवकाश नहीं होने पर अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कराने होंगे। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.09.2006 से स्वीकृति जारी की गई और उक्त योग्यता उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 20.11.2006 से 16.05.2007 तक का अवकाश स्वीकृत किया गया, जिसमें 126 दिवस का उपार्जित अवकाश व 48 दिवस का अर्द्धवैतनिक

अवकाश एवं 4 दिवस का साधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया गया, जो राजस्थान सेवा नियम के नियम 110 के विपरीत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के समान ही शिक्षा विभाग में श्रीमती सीमा जैन को भी पूर्व में वर्ष 2007 में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अध्ययन अवकाश नियम 110 के तहत स्वीकृत किया गया, जिसमें 243 दिवस का अध्ययन अवकाश आदेश दिनांक 25.11.2008 से स्वीकृति दी गई। जबकि अपीलार्थी को उक्त अध्ययन अवकाश से वंचित रखा गया, जो उक्त नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 27.08.2007, 27.08.2007 व 13.12.2017 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.08.2007 द्वारा जो अवकाश स्वीकृत किया गया है, उन्हें निरस्त करते हुए नियम 110 के अनुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा विभागीय स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों को मान्य करते हुए बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण अवधि के अवकाश स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए थे। विभाग द्वारा नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1993 में अध्यापक के पद पर हुई थी, परंतु नियुक्ति समय अपीलार्थी बी.एड. योग्यताधारी नहीं था और विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2006 के द्वारा बी.एड. परीक्षा वर्ष 2006 में शामिल होने के लिए अपीलार्थी को स्वीकृति प्रदान की गई, परंतु आदेश में यह अंकित किया गया कि प्रशिक्षण स्वयं के खर्चे पर और प्रशिक्षण अवधि एवं परीक्षा अवधि में स्वयं के संचयी अवकाश स्वीकृत कराने होंगे। संचयी अवकाश नहीं होने पर अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कराने होंगे। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.09.2006 से स्वीकृति जारी की गई और उक्त योग्यता उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 20.11.2006 से 16.05.2007 तक का अवकाश स्वीकृत किया गया, जिसमें 126 दिवस का उपार्जित अवकाश व 48 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश एवं 4 दिवस का साधारण (अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत

किया गया, जो राजस्थान सेवा नियम के नियम 110 के विपरीत है। जहां तक अपीलार्थी को अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाने का प्रश्न है, विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2006 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रशिक्षण अवधि एवं परीक्षा अवधि में स्वयं के संचयी अवकाश स्वीकृत कराने होंगे। संचयी अवकाश नहीं होने पर अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कराने होंगे। जबकि राजस्थान सेवा नियम के नियम 110 जिसमें अध्ययन अवकाश की अनुज्ञेयता निम्न प्रकार हैः–

> *"एक स्थायी राज्य कर्मचारी को अध्ययन अवकाश, अध्ययन के ऐसे पाठ्यक्रम या वैज्ञानिक या तकनीकी प्रकृति के अनुसंधान कार्य करने, जो स्वीकृतिकर्ता–प्राधिकारी की सम्मति में विभागीय कार्य, जिसमें वह नियोजित है, के हित में आवश्यक समझा जाता है, अनुज्ञेय होगा। साधारणतया यह अवकाश एक ऐसे कर्मचारी को स्वीकृत नहीं किया जावेगा, जिसने 20 वर्ष या अधिक की सेवा पूर्ण कर ली हो।"*

उपरोक्त प्रावधानानुसार हमारे मत में अपीलार्थी अध्ययन अवकाश प्राप्त करने का अधिकारी है और अनुलग्नक–ए7 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि श्रीमती सीमा जैन जो अध्यापिका जिन्हें विभाग के आदेश दिनांक 25.11.2008 द्वारा बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 243 दिवस का अध्ययन अवकाश राजस्थान सेवा नियम के नियम 110 के अंतर्गत स्वीकृत किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी भी बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उक्त नियमानुसार अध्ययन अवकाश प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 110 के अंतर्गत अपीलार्थी को बी.एड. प्रशिक्षण अवधि का अवकाश प्रदान किया जावे और पूर्व में आदेश दिनांक 27.08.2007 एवं 13.12.2017 के द्वारा जो उपार्जित अवकाश, अर्द्धवैतनिक अवकाश एवं असाधारण अवकाश बी.एड. प्रशिक्षण अवधि के संबंध में स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें निरस्त करते हुए समस्त परिलाभ नियमानुसार दिए जावें। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य